न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर

दिनांक-05.06.2026

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 529 सन् 2026, सरकार बनाम नवाब आदि, अर्न्तगत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तगण नवाब पुत्र मंजूर व चांद पुत्र इकराम का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 29.05.2026 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। उनकी जमानत हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को दिनांक 27.05.2026 को समय 07.30–08.00 बजे जब अभियुक्तगण भूषण मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहा था तब एस०ओ०जी० टीम द्वारा उठाया गया जोकि सी०सी०टी०वी० कैमरों में देखा जा सकता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र गवाह नहीं है। अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण अजमानतीय प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। अभियुक्तगण जिला कारागार बुलन्दशहर में दिनांक 29.05.2026 से निरूद्ध है। उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण नवाब पुत्र मंजूर व चांद पुत्र इकराम की जमानत हेतु उचित एवं पर्याप्त आधार हैं। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण को पृथक–पृथक **20,000/– रुपये** के **एक–एक प्रतिभू एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।

आशुलिपिकः– हर्ष कुमार